न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–15 / 2023
GCMS NO:- 2023/20

दायर दिनांकः 06.1.2023
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

सत्यनारायण आ0 मोती जाति धाकड नि0 बामनगांव तहसील नैनवॉ वगै0 (कुल 11)।

– प्रार्थीगण

बनाम

किशनगोपाल आ0 रामरतन जाति धाकड नि0 पलाई तहसील उनियारा वगै0 (कुल 5)

–प्रत्यार्थीगण

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251क आरटीएक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र नागर।

प्रत्यार्थीगण संख्या 1 व 2 / अपीलाण्टगण संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री रामराज नागर।

निर्णय दिनांक 27.08.2025

:–निर्णय–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम बामनगांव मे खाता संख्या 649 के खसरा नम्बर 2188, 2545, 2560, 2566 व 2817 कुल किता 5 कुल रकबा 45 बीघा 10 बिस्वा स्थित है जो प्रार्थीगण व प्रत्यार्थी संख्या 3 की खातेदारी भूमि है जिसका प्रार्थीगण व प्रत्यार्थी संख्या 3 ने मौके पर अपने सुविधानुसार बंटवारा कर रखा है। प्रार्थीगण के हिस्से बंटवारे की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2817 आ रही है जिस पर आने जाने के लिए ग्राम बामनगांव से गलगच माताजी होते हुए रैठोदा जाने वाले रास्ते से फटकर खसरा नम्बर 2818 व 2815 के मध्य की मेड पर होता हुआ रास्ता इस न्यायालय द्वारा पूर्व मे पारित निर्णय दिनांक 02.12.2021 द्वारा दिया गया था जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, कोटा के यहां अपील संख्या 2022 / 39 पेश की जिसमे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 21.11.2022 को निर्णय पारित कर अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया गया।

माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, कोटा के उक्त निर्णय दिनांक 21.11.2022 की पालना मे पत्रावली पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र नागर ने उपस्थिति पेश की तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 अथवा अपीलाण्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री रामराज नागर द्वारा उपस्थिति पेश की गयी।

पत्रावली व संलग्न दस्तावेजो का अद्योपान्त अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थीगण द्वारा जिस खसरा नम्बर 2188, 2545, 2560, 2566 व 2817 मे जाने के लिए रास्ता चाहा है, का अभी तक विधिवत रूप से विभाजन नही हुआ है तथा बिना विभाजन धारा 251क के तहत् रास्ता दिया जाना संभव अथवा न्यायोचित प्रतीत नही होता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नैनवॉ